पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 21/2022

1. मुकेश कुमार पुत्र प्रेमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. प्रेमाराम पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
2. अन्जू कुमारी पुत्री प्रेमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
3. अनुपम पुत्री प्रेमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री अमित देहडू एव वकील प्रतिवादीगण श्री मनीष टाक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुवां खाता सं0 212/152 के खसरा स0 354 की 11.3690है0 खसरा स0 59 की 0.3290है0 खसरा सं0 83 की 10.5600है0 कुल 22.2580है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी स0 1 प्रेमाराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 प्रेमाराम अकेले के बजाए वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी स0 1 प्रेमाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 21/2022

1. मुकेश कुमार पुत्र प्रेमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. प्रेमाराम पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
2. अन्जू कुमारी पुत्री प्रेमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
3. अनुपम पुत्री प्रेमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नुवां त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री उम्मेद मोठसरा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 17.2.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नुवां खाता सं0 212/152 के खसरा सं0 354 की 11.3690है0 खसरा सं0 59 की 0.3290है0 खसरा सं0 83 की 10.5600है0 कुल 22.2580है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 प्रेमाराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा रामपत की खातेदारी हुआ करती थी। रामप्रताप के देहान्त के बाद उक्त भूमि का प्रतिवादी सं0 1 प्रेमाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिदादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 मुकेश कुमार पुत्र प्रेमाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी नुवां के खाता सं0 212/152 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, दादालाई जमाबंदी रोही नुवां खाता सं0 174/171 संवत 2048 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामाव वाद में

Scanned with CamScanner

वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही नुवां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी नुवा के खाता सं0 212/152 संवत 2076–79 प्रदर्श 1, दादालाई जमाबंदी रोही नुवां खाता सं0 174/171 संवत 2048 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 सदस्य प्रमाण के अनुसार प्रेमाराम के एक पुत्र मुकेश कुमार व दो पुत्री अन्जू कुमारी, अनुपम तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुवां खाता सं0 212/152 के खसरा सं0 354 की 11.3690है0 खसरा सं0 59 की 0.3290है0 खसरा सं0 83 की 10.5600है0 कुल 22.2580है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 प्रेमाराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 प्रेमाराम अकेले के बजाए वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 प्रेमाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श[illegible]चौधरी) [illegible]कटर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner